न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/एलआर/2382/2003/जोधपुर

1. कोजाराम पुत्र भंवराराम
2. भागीरथ पुत्र मंगलाराम

–समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम बिसई तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामूराम पुत्र भुक्काराम जाति भील
2. मोहनराम पुत्र भुक्काराम जाति थोरी
3. मु. चुन्नी देवी पत्नि मोहनराम जाति थोरी
4. मु. चुंकीदेवी पत्नि रामूराम जाति भील

–समस्त निवासीगण ग्राम बिसई तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर

5. श्यामलाल पुत्र शंकरलाल नाबालिग जरिये वली माता मु. बाबूडी बेवा शंकरराम जाति थोरी निवासी बिसई तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर
6. दिनेश कुमार पुत्र पुखराज जाति थोरी निवासी कुण्डल तहसील फलौदी जिला जोधपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर

.....रेस्पोर्डेंट्स

एकल पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य

उपस्थितः–

श्री ईश्वर देवडा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री एस.के.शर्मा व श्री जी.एस.चारण, अधिवक्तागण, रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः– 02–03–2021

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अंतर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–05–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) बाबत आवंटन आदेश दिनांक 01–12–1967 जरिये आवंटन कृषि भूमि खसरा संख्या 544 रकबा 15 बीघा को निरस्त कराने बाबत पेश किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने उक्त प्रकरण में विचारण करते हुए आदेश दिनांक 21–06–2001 पारित करते हुए मामले में पारित आलोच्य आवंटन को निरस्त कर प्रश्नगत रकबे को आवंटन से पूर्व की स्थिति के अनुसार राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करने बाबत आदेशित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स मोहनराम वगैरहा ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 06–05–2003 पारित करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–06–2001 को अपास्त कर आवंटन आदेश दिनांक 01–12–1967 को बहाल रखते हुए प्रश्नगत रकबे का आवंटी को पुनः खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय 06–05–2003 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की अपील के संबंध में बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए आक्षेपित निर्णय को न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय बताया। उनका कथन है कि उनके द्वारा पूर्णतया यह सिद्ध कर दिया गया था कि रामूराम पुत्र भुक्काराम जाति भील नाम का कोई व्यक्ति ग्राम बिसई में निवास नहीं करता है तथा आलोच्य आवंटन मोहनराम द्वारा फर्जी रूप से रामूराम भील बनकर प्राप्त किया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष राशनकार्ड, मतदाता सूची, चयनित परिवारों की सूची पेश कर यह सिद्ध कराया गया है कि मोहनराम व रामूराम एक व्यक्ति नहीं है और मोहनराम ने गलत वल्दियत का लाभ उठाते हुए आराजी का हस्तान्तरण

किया है। उनका तर्क है कि रामूराम जाति से भील है जो कि अनुसूचित जनजाति संवर्ग का सदस्य है और थोरी अनुसूचित जाति संवर्ग में समाहित है, इस कारण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा धारित भूमि पर अनुसूचित जाति संवर्ग को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते। उनका यह भी तर्क है कि मोहनराम व रामूराम दो अलग–अलग व्यक्ति है और आवंटी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की है, जिसके आधार पर यह प्रदर्शित होता हो कि मोहनराम ही रामूराम है। आगे बताया कि आवंटन की तिथि को मोहनराम की आयु 10 वर्ष होने के कारण उसके पक्ष में आवंटन नहीं किया जा सकता। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में रामूराम के पक्ष में किया गया आलोच्य आवंटन विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अंत में उन्होंने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 06–05–2003 को निरस्त करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–06–2001 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए अपील को खारिज किये जाने का अनुरोध किया एवं कथन किया कि मोहनराम जाति थोरी एवं रामूराम जाति भील को अलग–अलग व्यक्ति होना मानकर अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर ने अपना निर्णय पारित किया है जो कि तथ्यों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि मोहनराम को रामूराम नाम से शुरू से ही सम्बोधित किया जाता रहा है। आगे बताया कि आवंटी रामूराम को तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा तस्दीक किया गया है एवं तत्कालीन सरपंच द्वारा भी इसी प्रकार से तस्दीक किया गया है। उनका आगे कहना है कि बिसई गांव में भील व थोरी जाति एक ही जाति पुकारी जाती है यानि मानी जाती है। यह भी बताया कि जरिये शपथ पत्र यह प्रदर्शित किया गया है मोहनराम ही रामूराम है तथा मोहनराम फर्जी रूप से रामूराम नहीं बना है। उनका तर्क है कि आलोच्य आवंटन की पालना में भूमि का कब्जा आवंटी को सुपुर्द कर दिया गया तथा वर्तमान में वह भौतिक रूप से काबज है तथा लगातार उपयोग व उपभोग कर रहा है। यहीं आवंटन की पालना में

नामान्तरकरण भी स्वीकार किया गया है। सारांशतः आवंटित रकबे के बाबत आवंटी को पहले गैरखातेदार तथा कालान्तर में आर्हताएं पूरी करने के बाद खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। उनका यह भी तर्क है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपने निर्णय में फौजदारी प्रकरण के तथ्यों को मानकर अपना निर्णय पारित किया है, जबकि फौजदारी प्रकरण के तथ्य राजस्व न्यायालयों पर लागू नहीं होते है। उन्होंने बताया कि आवंटी मोहनराम उर्फ रामूराम भूमिहीन काश्तकार था। उनका आगे तर्क है कि प्रश्नगत रकबे का आवंटन हुए लगभग 33 वर्ष पूर्ण हो चुके है तथा इतनी लम्बी अवधि बाद नियमानुसार किए गए आवंटन को निरस्त करना संवैधानिक नहीं है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण उसमें इस अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या आवंटी ने प्रश्नगत रकबे के संबंध में कपट व धोखाधडी तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवंटन आदेश दिनांक 01-12-1967 प्राप्त किया है अथवा नहीं ?

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) बाबत आवंटन कृषि भूमि खसरा संख्या 544 रकबा 15 बीघा को निरस्त कराने बाबत पेश किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने उक्त प्रकरण में विचारण करते हुए आदेश दिनांक 21-06-2001 पारित करते हुए आलोच्य आवंटन को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध मोहनराम वगैरहा ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील

पेश किए जाने पर न्यायालय ने आदेश दिनांक 06-05-2003 पारित करते हुए स्वीकार की है।

इस संबंध में आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (3) का सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैः-

> "(3) The allottee shall have to bring the land under cultivation and shall utilise it property. Provided that this period may be extended by the Tehsildar by one year if due to unforeseen causes over which the allottee had no control, he was unable to cultivate the land within the stipulated period".

मामले में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आवंटी द्वारा आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं ?

8. सर्वप्रथम हम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) का उल्लेख करना उचित समझते है, जो निम्न प्रकार से है :-

> "The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a sub-Divisional Office or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules of in case the allottee has committed breach or any of the conditions of allotment. Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard."

अधीनस्थ न्यायालयों के रेकार्ड से यह स्पष्ट है कि मामले में प्रश्नगत रकबे का आवंटन रामूराम के पक्ष में किया गया है। किन्तु यह पाया जाता है कि ग्राम बिसई में रामूराम नामक कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है। कालान्तर में मोहनराम थोरी पुत्र मुकाराम के रूप में प्रश्नगत रकबे का अपनी पत्नि के नाम से बेचान किया गया है। इस बाबत एक फौजदारी प्रकरण भी संस्थित हुआ है। रेकार्ड से परिभाषित होता है कि मोहनराम नामक व्यक्ति गलत रूप से उर्फ रामूराम बनकर आया है। स्थिति यह प्रकट होती है कि मोहनराम का नाम राशनकार्ड, मतदाता सूची एवं अन्य पत्रादि में मात्र मोहनराम ही है। इसके अतिरिक्त रामूराम

का कहीं भी अंकन नहीं है। उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष 1967 में प्रश्नगत रकबे का आवंटन किया गया है एवं वर्ष 1994 की मतदाता सूची में मोहनराम की आयु 42 वर्ष बताई गई है। अतः उक्त स्थिति में मोहनराम जिसके द्वारा फर्जी रामूराम बनकर आलोच्य आवंटन करवाया गया है तथा इस अवधि में वह नाबालिग की श्रेणी में आता है। रेकार्ड में संलग्न चयनित परिवारों की सूची वर्ष 1992-93, राशनकार्ड एवं मतदाता सूची के अंकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं है कि मोहनराम व रामूराम एक ही व्यक्ति हो। यही नहीं उक्त दस्तावेंजों से यह भी प्रमाणित होता है कि वर्ष 1993 में मोहनराम की आयु 40 वर्ष का अंकन है, इस कारण आलोच्य आवंटन की तिथि को वह नाबालिग की श्रेणी में धारण होता है तथा विधिनुसार नाबालिग व्यक्ति आवंटन की पात्रता नहीं रखता है।

9. बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने आक्षेप उठाया है कि आवंटन के 10 वर्ष पश्चात नियमानुसार गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है, इस कारण भी उनका आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त करने के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (1) में दिनांक 26-3-97 को संशोधन करके नवीन प्रावधान धारा 63(1)(पग) में निम्न प्रकार किये हैं-

> 63 (1) - The interest of tenent in his holding or a past thereof, as the case may be, shall extinguished.
> (ix) - If the allotment of land is cancelled or the land is ordered to be resumed under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajashan Act No-15 of 1956) or rules framed thereunder or under any other law for the time being in force.

न्यायिक दृष्टान्त 1998 आर.आर.डी. पेज 589 में धारा 63(1)(पग) के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन कर आवंटन आदेश को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी निरस्त किया जा सकता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उक्त निर्णय में निम्न निष्कर्ष विनिश्चत किया है-

> Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970 Rule 14(4)-Rajashtan Tenancy Act, Section 63(1) (ix) - Allotment cancelled on complaint by Collector- Order upheld in appeal by RAA-Appeal-Held, allottee obtained

allotment showing himself landles when he is a recorded khatedar of 75 bighas Barani III land as per Jamabandi of St. 2023-26-Khatedari rights obtained after 10 yrs.- Allotment cancelled in view of amended Sec. 63(1)(ix) of R-T- Act newly added on 26-3-97 Concurrent findings of the courts below, held justified and confirmed.

उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार आवंटी ने आवंटन नियमों की अक्षरश पालना नहीं किए जाने के कारण अतिरिक्त जिला जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–06–2001 विधि सम्मत पाया जाता है।

10. विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने बिना रेकार्ड का सही परीक्षण किये एवं बिना आवंटन नियमों का अध्ययन किए अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 21–06–2001 को निरस्त करने में गंभीर विधिक भूल की है। तदनुसार विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर का निर्णय पूर्णतयः दोषपूर्ण (Bad in the eye of law) निर्णय होकर निरस्त किए जाने योग्य है।

11. अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06–05–2003 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनीता श्रीवास्तव)
सदस्य